रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102026-277480
CG-DL-E-28102026-277480

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5636] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 28, 2026/कार्तिक 6, 1948
No. 5636] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 28, 2026/KARTIKA 6, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5866(अ).— केंद्र सरकार, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 2 के खंड (xi) के उप-खंड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वापक औषधि संबंधि संयुक्त राष्ट्र एकल कन्वेंशन, 1961 के तहत लिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित पदार्थों, लवणों तथा उनसे तैयार की जाने वाली वस्तुओं को निर्मित औषधि घोषित करती है, अर्थात्:-

(i) एन-पाइरोलिडिनो आइसोटोनिटाज़ीन (आइसोटोनिटाज़ेपाइन)

5-नाइट्रो-2-[4-(2-प्रोपोक्सि)बेंज़ाइल]-1-[2-(पाइरोलिडिन-1-इल)एथाइल]-1एच-बेंज़ो[डी]इमिडाज़ोल

(ii) एन-डेसेथाइल एटोनिटाजीन-

2 [(4-इथॉक्सीफेनाइल)मिथाइल]-एन-इथाइल-5-नाइट्रो-1एच-बेंज़िमिडाज़ोल-1-एथेनामीन

2. यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. एन-12012/2/2026-एनसी-II-डीओआर]

मोन्टी कुमार झा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department Of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2026

S.O. 5866(E).— In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of clause (xi) of section 2 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government having regard to the decision taken under the United Nations Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 hereby declares the following substances, salt and preparations to be manufactured drugs, namely:-

(i) N-pyrrolidino isotonitazene (Isotonitazepyne)

5-Nitro-2-[4-(2-propoxy)benzyl]-1-[2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl]-1H-benzo[d]imidazole

(ii) N-desethyl etonitazene-

2-[(4-Ethoxyphenyl)methyl]-N-ethyl-5-nitro-1H-benzimidazole-1-ethanamine

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No N-12012/2/2026-NC-II-DOR]

MONTY KUMAR JHA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5867(अ).— चूँकि केन्द्र सरकार निम्नलिखित पदार्थों (प्राकृतिक या कृत्रिम) या प्राकृतिक सामग्री या किसी लवण या ऐसे पदार्थों या सामग्रियों के निर्माण के दुरुपयोग की प्रकृति और प्रभाव या दुरुपयोग के दायरे के संबंध में, और ऐसे पदार्थों के संबंध में संशोधन और ऐसे परिवर्तन जो मन:प्रभावी पदार्थ संबंधी संयुक्त राष्ट्र कन्वेन्शन, 1971 में शामिल किए गए हैं, के आधार पर उपलब्ध जानकारी और साक्ष्य से संतुष्ट है, और वह निम्नलिखित पदार्थों या प्राकृतिक सामग्रियों या लवण या ऐसे पदार्थों या सामग्रियों के निर्माण को स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61), (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मन:प्रभावी पदार्थों की सूची में जोड़ना अनिवार्य मानती है;

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा इस अनुसूची में क्रम संख्या 110 जेडजेडके और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ सम्मिलित करते हुए अधोलिखित अतिरिक्त संशोधन करती है, अर्थात्:-

क्रम सं.	अंतरराष्ट्रीय गैर-स्वामित्व वाले नाम	अन्य गैर-स्वामित्व वाले नाम	रासायनिक नाम
"110 जेड जेडएल		एमडीएमबी-फूबिनाका	मिथाइल 2-[{1-(4-फ्लोरोबेंज़िल) इंडेज़ोल-3-कार्बोनिल}अमीनो]-3,3 डाइमिथाइलब्यूटेनोएट

[फा. सं. एन-12012/2 /2026-एनसी-II-डीओआर]

मोन्टी कुमार झा, अवर सचिव

टिप्पणी: स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की अनुसूची को पहली बार दिनांक 26 अक्टूबर, 1992 के संख्या का.आ.785(अ) द्वारा संशोधित किया गया था और अंतिम बार का.आ. 906 (अ) दिनांक 18 फरवरी, 2026 द्वारा संशोधित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2026

S.O. 5867(E).— Whereas the Central Government is satisfied, on the basis of information and evidence which has become available to it, with respect to the nature and effect of and the scope for abuse of the following substances (natural or synthetic) or natural material or any salt or preparation of such substances or materials and the modification with respect to such substances and the changes that have been incorporated in the United Nations Convention on Psychotropic Substances, 1971, that it is necessary to add the following substances or natural materials or salts or preparation of such substances or materials in the list of psychotropic substances specified in the Schedule to the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) (hereinafter referred to as the said Act);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendments in the Schedule, after serial number 110ZZK and the entries relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely :-

Sl. No.	International non Proprietary names	Other non proprietary names	Chemical Name
"110ZZL		MDMB-FUBINACA	Methyl 2-[{1-(4-fluorobenzyl)indazole-3-carbonyl}amino]-3,3 Dimethylbutanoate"

[F. No N-12012/2/2026-NC-II-DOR]

MONTY KUMAR JHA, Under Secy.

Note: The Schedule to the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 was first amended, vide number S.O. 785(E), dated the 26th October, 1992 and lastly amended vide number S.O. 906 (E), dated the18th February, 2026.

UNOMPLYCATE Simplicity of Compliance

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5868(अ).— केंद्र सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 2 के खंड (viiक) और (xxiiiक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या का .आ.1055 (अ) दिनांक 19 अक्टूबर, 2001 में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करती है, अर्थात्-:

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 238 ज़ेडज़ेडज़ेडआर और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्याएँ और प्रविष्टियां शामिल की जाएंगी, अर्थात्-:

क्र. स.	मादक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ का नाम (अंतर्राष्ट्रीय गैर-स्वामित्व नाम (आईएनएन))	अन्य गैर-स्वामित्व नाम	रासायनिक नाम	कम मात्रा (ग्राम में)	व्यावसायिक मात्रा (ग्राम/किलो में)
1	2	3	4	5	6
"238ज़ेडज़ेडज़ेडएस	एन-पाइरोलिडिनो आइसोटोनिटाज़ीन (आइसोटोनिटाज़ेपाइन)		5-नाइट्रो-2-[4-(2-प्रोपॉक्सी)बेंज़िल]-1-[2-(पाइरोलिडिन-1-इल)एथिल]-1एच-बेंज़ो[डी]इमिडाज़ोल	0.0017 ग्राम	0.085 ग्राम
238ज़ेडज़ेडज़ेडटी	एन-डेसेथिल ईटोनिटाज़ीन		2[(4-इथॉक्सीफेनिल)मिथाइल]-एन-इथाइल-5-नाइट्रो-1एच-बेंज़िमिडाज़ोल-1-एथेनामीन	0.0005 ग्राम	0.025 ग्राम
238ज़ेडज़ेडज़ेडयू		एमडीएमबी-फुबिनाका	मिथाइल 2-[{1-(4-फ्लोरोबेंज़िल) इंडेज़ोल-3-कार्बोनिल}अमीनो]-3,3 डाइमिथाइलब्यूटेनोएट	0.0025 ग्राम	0.125 ग्राम"

2. यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. एन०-12012/2/2026-एनसी-II-डीओआर]

मोन्टी कुमार झा, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 1055 (अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार का.आ. 907 (अ), दिनांक 18 फरवरी, 2026 द्वारा संशोधित की गई थी।

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2026

S.O. 5868(E).— In exercise of the powers conferred by clause (viia) and (xxiiia) of section 2 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1055 (E), dated the 19th October, 2001, namely:-

In the said notification, in the Table, after serial number 238 ZZZR and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be inserted, namely: -

Sl. No.	Name of Narcotic Drug and Psychotropic Substance (International non-proprietary names (INN))	Other non-proprietary names	Chemical name	Small Quantity (in gm.)	Commercial Quantity (in gm./kg.)
1	2	3	4	5	6
"238ZZZS	N-Pyrrolidino Isotonitazene (Isotonitazepyne)		5-Nitro-2-[4-(2-propoxy)benzyl]-1-[2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl]-1H-benzo[d]imidazole	0.0017 gm	0.085 gm
238ZZZT	N-Desethyl Etonitazene		2-[(4-Ethoxyphenyl)methyl]-N-ethyl-5-nitro-1H-benzimidazole-1-ethanamine	0.0005 gm	0.025 gm
238ZZZU		MDMB-FUBINACA	Methyl 2-[{1-(4-fluorobenzyl)indazole-3-carbonyl}amino]-3,3Dimethylbutanoate	0.0025 gm	0.125 gm"

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No N-12012/2/2026-NC-II-DOR]

MONTY KUMAR JHA, Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1055 (E), dated the 19th October, 2001 and lastly amended vide number S.O. 907 (E), the 18th February, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA